रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28042022-235410
CG-DL-E-28042022-235410

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 231]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 28, 2022/वैशाख 8, 1944
No. 231]	NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 28, 2022/VAISAKHA 8, 1944

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2022

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2022

सं.आई.बी.बी.आई/2022-23/जी.एन/आर.ई.जी.082- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 का और संशोधन के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2022 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) में, विनियम 2क के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण – यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विनियम की अपेक्षाएं, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2019 के प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली समापन प्रक्रियाओं को लागू होंगी ।"

3. मूल विनियमों में, विनियम 21क के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण – यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विनियम की अपेक्षाएं, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2019 के प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली समापन प्रक्रियाओं को लागू होंगी ।"

4. मूल विनियमों में, विनियम 31क के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण – यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विनियम की अपेक्षाएं, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2019 के प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली समापन प्रक्रियाओं को लागू होंगी।"

5. मूल विनियमों में, विनियम 44 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण - भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2019 के प्रारंभ से पूर्व प्रारंभ की गई समापन प्रक्रियाओं के संबंध में, इस विनियम की अपेक्षाएं, जैसी वे ऐसे प्रारंभ से पूर्व विद्यमान थी, लागू होंगी।"

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./53/2022-23]

टिप्पण : भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 सं. 460, तारीख 15 दिसम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.005, तारीख 15 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 सं. 428, तारीख 30 सितम्बर, 2021 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2021-22/जी.एन./आर.ई.जी.079, तारीख 30 सितम्बर, 2021 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 द्वारा किया गया था।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2022

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2022

No. IBBI/2022-23/GN/REG082.—In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016, namely: -

1. (1) These Regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), after regulation 2A, the following Explanation shall be inserted, namely: -

"*Explanation*.- It is hereby clarified that the requirements of this regulation shall apply to the liquidation processes commencing on or after the date of the commencement of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2019."

3. In the principal regulations, after regulation 21A, the following Explanation shall be inserted, namely:-

"*Explanation*.- It is hereby clarified that the requirements of this regulation shall apply to the liquidation processes commencing on or after the date of the commencement of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2019."

4. In the principal regulations, after regulation 31A, the following Explanation shall be inserted, namely:-

"*Explanation*.- It is hereby clarified that the requirements of this regulation shall apply to the liquidation processes commencing on or after the date of the commencement of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2019."

5. In the principal regulations, after regulation 44, the following Explanation shall be inserted, namely:—

"*Explanation*.- In relation to the liquidation processes commenced prior to the commencement of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2019, the requirements of this regulation as existing before such commencement, shall apply."

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./53/2022-23]

Note : The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016 were published *vide* notification No. IBBI/2016-17/GN/REG005 dated 15th December, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide No. 460 on 15th December, 2016 and were last amended by Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Second Amendment) Regulations, 2021 *vide* notification No. IBBI/2021-22/GN/REG079 dated 30th September, 2021 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide No. 428 on 30th September, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA